राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जगदीश / राधेश्याम

तारीख हुक्म	721/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/10/21	आज यह दोनों अपील पत्रावलीयां वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपील संख्या 721/2017 के अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर वाद में प्रश्नगत आराजीयात का अंकन करते हुये प्रश्नगत आराजीयात के सन्दर्भ में स्वयं के एवं प्रतिवादीगण के प्रश्नगत आराजी में हिस्से का अंकन करते हुये एवं वादकारण अंकित करते हुये की प्रश्नगत आराजी अविभाजित आराजी है जिसका विधिवत विभाजन करवाये बगैर जबरन प्रोपर्टी डीलर व सोसायटीयो को विक्रय कर कृषि भूमि को अकृषि कार्यो में परिवर्तित करने पर प्रतिवादीगण आमदा है अत: प्रश्नगत आराजी का विधिवत बटवारा (तकासमाँ) किया जावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 11/07/2017 के अनुसार पत्रावली लोक अदालत में लेते हुये यह अंकित करते हुये प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी कि "वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 5,6,7 का अधिवक्ता उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 55, 59, 60, 61, 62, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 82 की और से श्री देवीदयाल शर्मा वकील ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली रहे, शेष प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त नही है, प्रतिवादी अधिवक्ता ने विवादित भूमि का विभाजन करवाने की सहमति दी है, अत: वादी का दावा प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अचरोल तहसील आमेर स्थित आराजीयात का पूर्ण अंकन करते हुये टीनेंन्सी एक्ट एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करे एवं तीन प्रतियों में नक्शा ट्रेस प्रति सहित भिजवाने, प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11/07/2017 के विरुद्ध वादी/अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई है जिसमे अपील के रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा क्रास आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। अत: दोनों प्रकरणों की बहस ईकजाई समायत की जाकर इस एक ही निर्णय द्वारा दोनों प्रकरणों को निस्तारित किया जाता है। दोनों प्रकरणों के अभिभाषकगणों द्वारा बहस के दौरान हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे कुछ प्रतिवादीगण की तामिल हो गयी थी किन्तु अनेक	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जगदीश / राधेश्याम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	721/2017	

2

प्रतिवादीगण की तामिल होना शेष था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण बगैर जवाब वाद प्रस्तुत हुये, बगैर तनकीयात कायम किये बगैर पक्षकारान को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये वाद में बगैर पक्षकारान की बहस सुने प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी जो विधि के सुस्थापित सिद्दांतो के विपरित होने से निरस्त फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने सुनवाई के दौरान मुख्य आपत्ति यह दर्ज करवाई की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की आदेशिका अनुसार यह स्पष्ट था कि वाद में अभी कई प्रतिवादीगण की तामिल होना शेष था ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपरिपक्व प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर निर्धारित प्रक्रियाओ की अवेहलना की है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11/07/2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे एवं निर्देश दिये जावे की वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये वाद का निस्तारण करे।

हमने बहस पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अभिभाषक पक्षकारान द्वारा की गयी बहस की पुष्टी होती है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में उनकी आदेशिका अनुसार कई प्रतिवादीगण की तामिल होना ही शेष था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में बगैर प्रतिवाद प्रस्तुत हुये एवं तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत प्राप्त किये, बगैर किसी विस्तुत विवेचन के वाद में प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये। जो स्पष्ट रूप से वाद के निस्तारण हेतु स्थापित प्रक्रियाओं के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 721/2017 एवं क्रास आपत्ति संख्या 456/2020 स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11/07/2017 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में पुन: प्रारम्भ से सभी पक्षकारान को सूचित किया जाकर वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का पालना करते हुये पुन: वाद में प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित किये जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	721/2017 जगदीश / राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय आज दिनांक 06/10/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

जयपुर (राजस्थान)